दिनांक 24.08.2017 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता मे जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारित प्राधिकरण की बैठक की कार्यवृत्तः—

उपस्थितिः—

1. श्री एस.ए. मुरूगेशन जिलाधिकारी देहरादून। — अध्यक्ष
2. श्री प्रसन्न पात्रो प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग देहरादून। — सदस्य
3. श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी(प्र0) देहरादून। — सदस्य सचिव
4. श्री सुनिल पंवार संयुक्त निदेशक, भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई देहरादून। — आमंत्रित सदस्य

सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उपस्थित अधिकारी का आभार प्रकट किया गया। तत्पश्चात अपर जिलाधिकारी(प्र0) देहरादून/ सदस्य सचिव द्वारा जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति द्वारा जो दो प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये निम्न प्रकार से है, बैठक मे प्रस्तुत किये गये।

1. श्री दिग्विजय सिह पुत्र श्री शूरवीर सिह चौहान निवासी परवादून द्वारा आवेदित ग्राम बोसान तहसील कालसी के भूमि ख0नं0 149क, ख0नं0 150ख, ख0नं0 155, ख0नं0 162 व ख0नं0 164 कुल रकवा 4.419 हे0 भूमि।
2. श्री मोहन लाल पुत्र श्री पीताम्बर दत्त निवासी खदरी खडक माफ द्वारा आवेदित ग्राम डूमेट तहसील विकासनगर के भूमि खसरा नं0 1ग कुल रकवा 0.800 हे0 भूमि।

समिति द्वारा प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिर्पोट एवं अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 221/X–3–16–13(01)/2016 दिनांक 18 मार्च, 2016 के साथ संलग्न भारत सरकार के पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 166 दिनांक 02 जनवरी, 2016 का अवलोकन किया गया। जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति मे मण्डायुक्त द्वारा तीन नामित विशेषज्ञ सदस्य के रूप मे नामित किये जायेगे। कार्यालय के पत्र संख्या 1602/खनिज–अनु0/16 दिनांक 02 अगस्त, 2016 के द्वारा आयुक्त महोदय, को अधिसूचना संख्या 166 दिनांक 20 जनवरी की छायाप्रति संलग्न करते हुए सदस्य नामित किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु अभी तक आयुक्त महोदय द्वारा जिला स्तरी विशेषज्ञ आंकन समिति मे किसी अधिकारी को सदस्य नामित नही किया गया है। अपर जिलाधिकारी(प्र0) देहरादून/सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया कि आयुक्त महोदय को मेरे स्तर से जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति मे सदस्य नामित किये जाने हेतु पुनः तीन अधिकारियो के नाम प्रस्तावित कर अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाये।

2— प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारित प्राधिकरण के नाम से एन.आई.सी. मे एक अलग से बैवसाइड link खोली जाये

तथा इसके अतिरिक्त जिला विशेषज्ञ स्तरीय आंकन समिति द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट पर आपत्ति प्राप्त किये जाने हेतु समाचार पत्रो मे प्रकाशन किया जाये। जिला विशेषज्ञ स्तरीय आंकन समिति जिला सर्वेक्षण रिर्पोट प्रस्तुत करते समय ऐसे निश्चित भागो को भी सम्मलित करे जहॉ पर उप खनिज आर.बी.एम. की प्रचुरित मात्रा एकत्रित हो एव अवैध खनन की सम्भावना रहती हो। तथा जिला विशेषज्ञ स्तरीय आंकन समिति इस बात का भी ध्यान रखेगी कि वर्षाकाल के दौरान जिस प्रकार से खनन चुगान का कार्य बन्द रहता हो, तो इस कार्यो को स्वीकृति के उपरान्त वर्षाकाल के दौरान बन्द रखेगी। जिला विशेषज्ञ स्तरीय आंकन समिति प्रत्येक 03 अथवा 06 माह मे जो उचित समझे एक बैठक करेगी और जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारित प्राधिकरण को अपनी रिर्पोट प्रस्तुत करेगी।

3— जिला विशेषज्ञ स्तरीय आंकन समिति द्वारा प्रेषित उक्त दोनो प्रस्ताव वापस भेजे जाये कि जब तक आयुक्त महोदय द्वारा दो नामित सदस्य नियुक्त न किये जाये अपनी स्पष्ट व अपूर्ण रिर्पोट जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारित प्राधिकरण को प्रेषित न करे।

अन्त मे सभी उपस्थित अधिकारियो का धन्यवाद प्रकृट करते हेतु बैठक का समापन किया गया।

28/8/17.
(एस.ए.मुरूगेशन)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात
निर्धारित प्राधिकरण,देहरादून।

<u>कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।</u>

संख्या 262/खनिज–जि0स्त0पर्या0/2017 दिनांक 28 अगस्त, 2017

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री प्रसन्न पात्रो प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग देहरादून।
2. श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी(प्र0) देहरादून।
3. श्री सुनिल पंवार संयुक्त निदेशक, भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई देहरादून।
4. अध्यक्ष/सदस्य सचिव जिला विशेषज्ञ स्तरीय आंकन समिति देहरादून।
5. D.I.O(NIC) Collectrate. Dehradun

28/8/17.
जिलाधिकारी
देहरादून।